संख्या-3937/58-1-2021

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी/**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊः: दिनांक 06 दिसम्बर, 2021

विषयः आंगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी तथा स्कूल पूर्व शिक्षा सेवाएं समुदाय में प्रदान किये जाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र एक महत्वपूर्ण इकाई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं संदर्भन सेवायें प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण, गृह भ्रमण, पोषण सम्बन्धी परामर्श के साथ-साथ बच्चों की वृद्धि निगरानी सम्बन्धी गतिविधियां की जाती हैं।

गर्भधारण से लेकर जीवन के पहले दो वर्ष तक की अवधि अर्थात् जीवन के पहले 1000 दिवस पोषण की दृष्टि से बच्चों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के 90 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास जन्म से 02 वर्ष तक तेजी से होता है। आंगनबाड़ी केन्द्र न सिर्फ पोषण एवं स्वास्थ्य का केन्द्र हैं, बल्कि 03-06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ई0सी0सी0ई0 के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किये जाने का स्थल है। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्तर की वृद्धि में आंगनबाड़ी केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उपुर्यक्त के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्रों को **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कुपोषण की अधिकता वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर जनपदों में माननीय जन-प्रतिनिधिगण यथा मा0 सांसद/विधायक/महापौर/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो को गोद लेकर **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** के रुप में विकसित किया जायेगा। इस योजना का प्रारम्भ दिनांक 10 जनवरी, 2022 से किया जायेगा।

1. **योजना का उद्देश्य**

- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को कुपोषण मुक्त करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03-06 वर्ष के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा (ई.सी.सी.ई) के स्तर में सुधार।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

2. **आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने की प्रक्रिया**

- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परियोजना/केन्द्रवार सैम एवं मैम (SAM & MAM) बच्चों की सूची अवरोही क्रम में तैयार कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लिये जाने हेतु परियोजनाओं में सैम/मैम बच्चों की अधिक संख्या वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- जनपद में गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची माननीय मा0 सांसद/विधायक महापौर/अध्यक्ष, जिला पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनसे विचार-विमर्श कर उनकी सुवेच्छा से गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र चिन्हित कियेजायेंगे।
- तत्पश्चात् जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद लिये जाने वाले शेष आंगनबाड़ी केन्द्र आवंटित किये जायेंगे।
- प्रत्येक माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा 03 आंगनबाड़ी केन्द्रोंको गोद लिया जायेगा।

3. **पर्यवेक्षण बिन्दु -**

"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" हेतु गोद लेने वाले मा0 जन-प्रतिनिधिगण तथा जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सभी गोद लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थलीय भ्रमण करते हुये निम्नलिखित मुख्य विन्दुओं पर पर्यवेक्षण किया जायेगा:-

I. <u>पोषण विषयक</u>

- आंगनबाड़ी केन्द्र के नियमित खुलने एवं बन्द होने की स्थिति।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों के सर्वे के अनुसार पोषणट्रैकर ऐप पर शत-प्रतिशत पंजीकरण की स्थिति।
- प्रत्येक लाभार्थी वर्ग 06 माह-06 वर्ष के बच्चे, अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को निर्धारित मात्रा में नियमित रुप से अनुपूरक पोषाहार के वितरण की स्थिति।
- पोषण ट्रैकर ऐप पर निम्न मानकों पर नियमित फीडिंग
- अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण
- वृद्धि निगरानी
- गृह भ्रमण
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियां यथा-गोदभराई, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस, वजन दिवस, वॉश डे के नियमित आयोजन की स्थिति।
- बच्चों के पोषण श्रेणी में सुधार (सैम से मैम तथा मैम से सामान्य श्रेणी) की स्थिति।

II. <u>स्कूल पूर्व शिक्षा विषयक-</u>

- प्री-स्कूल किट की उपलब्धता एवं रख-रखाव।
- ई.सी.सी.ई. सामग्री की उपलब्धता एवं रख-रखाव।
- 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु ई.सी.सी.ई. विषयक निर्धारित साप्ताहिक गतिविधियों एवं विभाग द्वारा विकसित यू-ट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो अनुसार गतिविधियों का आयोजन।
- बच्चों से वार्तालाप कर रंग, आकार, फल-सब्जियों आदि की पहचान जैसे अनौपचारिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री (पी.टी.एम.) के बैठक आयोजन की स्थिति।
- बच्चों के अभिभावकों से आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन तथा आयोजित ई.सी.सी.ई. गतिविधियों पर

फीडबैक।

III. <u>आधारभूत सुविधाओं विषयक-</u>

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- बाल-मैत्री शौचालय की उपलब्धता।
- आंगनबाड़ी केन्द्र का विद्युतीकरण।
- पोषण वाटिका
- आंगनबाड़ी केन्द्र की रंगाई व पुताई।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन की भौतिक स्थिति।
- ग्रोथ मानीटरिंग डिवाईस की उपलब्धता
- स्मार्ट फोन की उपलब्धता
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी-मेज व अन्य आवश्यक सामग्री।

4. **जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही**

- **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** बनाने से सम्बन्धित उक्त गतिविधियों और अनुश्रवण के मानकों के आधार पर माननीय जन-प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को विभागीय योजनाओं सम्बन्धी सुलभ सामग्री उपलब्ध कराते हुए अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्र के भ्रमण के समय सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, ए.एन.एम., अध्यापक, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्र को **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** के रुप में विकसित करने हेतु वी.एच.एस.एन.सी. के अन-टाईड फण्ड, कायाकल्प तथा जी.पी.डी.पी. का प्रयोग करते हुए आधारभूत संरचना/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत यथा- सी.एस.आर./मिनरल फण्ड व अन्य से भी आंगनबाड़ी केन्द्र को विकसित किया जा सकता है।
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं अन्य विभागों की संचाचिल योजनाओं के कन्वर्जेन्स से समेकित प्रयास करते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित किये जायेंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त बजट का प्राविधान नहीं है।

5. **अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व**

- आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा अपने नेतृत्व व देख-रेख में उपरोक्त मानकों की पूर्ति कराते हुए **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र** विकसित किये जायेंगे।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आहूत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद के समस्त गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की जायेगी।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह गोद लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों की पर्यवेक्षण आख्या संकलित कर समीक्षा हेतु जिला पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
- प्राप्त पर्यवेक्षण आख्या के आधार पर अध्यक्ष, जिला पोषण समिति/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के समन्वित प्रयास से **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** विकसित कराया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह शासन एवं राज्य पोषण मिशन/निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जायेगी।

6. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने की समयावधि**

गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों को **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** के रुप में विकसित किए जाने के लिये छः माह की समयावधि निर्धारित है।

7. **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** की घोषणा

गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों को निर्धारित अवधि में उक्त मानकों की पूर्ति होने पर जिला पोषण समिति द्वारा **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** घोषित किया जायेगा एवं तद्विषयक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपयाउपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन कर उसे **"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र"** बनाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by अनीता सी0 मेश्राम
Date: 08-01-2022 16:35:42
Reason: Approved

(अनीता सी. मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3937(1)/58-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, उद्यान, बेसिक शिक्षा, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, आयुष, ऊर्जा, जल संसाधन, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य प्रतिनिधि, समस्त विकासशील संस्थाएं।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता सी. मेश्राम)
प्रमुख सचिव।